

SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE AUTHORITY,
GOVERNMENT OF INDIA,
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY,
ANDHERI (E), MUMBAI - 400 096.

Tel: 28294725

Fax: 28291754

No. SEEPZ-SEZ/EMS/G/115/2002-03 /33252

04.11.2016

**NOTICE UNDER SUB-SECTION (3) OF SECTION 7 OF PUBLIC PREMISES
(EVICTION OF UNAUTHORISED OCCUPANTS) ACT, 1971**

1. WHEREAS M/s. Basic Jewellery (I) Pvt. Ltd (hereinafter referred to as the "Noticee" for the sake of brevity) is in occupation of the premises being unit no.G-39, G & J Complex- III, SEEPZ-SEZ, Andheri East (hereinafter referred to as the "said premises" for the sake of brevity) more particularly described in schedule given herein below.
2. AND WHEREAS a sum of Rs.2,42,547.26/- (Rupees Two Lacs Forty Two Thousand Five Hundred Forty Seven and Twenty Six Paise) pending as on 01.09.2016 is mentioned below:
 - (i) The Noticee has failed to clear the Outstanding Government dues to the tune of Rs.2,42,547.26/- (Rupees Two Lacs Forty Two Thousand Five Hundred Forty Seven and Twenty Six Paise) against the bill no. SPZBILL4720 dated 01.09.2016, being of Rent Arrears Rs. 56,596.90 /-, interest on rent arrears Rs.1,406.65/-, Service Charges for October 2016 of Rs. 12,726.67/, arrears of service charges of Rs.1,65,579.50/-, BMC Tax for October 2016 of Rs.603.13/-, Arrears

W

सीप्ल,विशेष आर्थिक क्षेत्र -
भारत सरकार,
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,
अंधेरी ,(पूर्व)मुंबई400096 -

टेली: 28294725

फैक्स: 28291754

सं.सीप्ल-सेज़/ईएमएस/जी/115/2002-03/

दिनांक: 04.11.2016

सार्वजनिक परिसर (अप्राधिकृत अधिभोग बेदखली) अधिनियम, 1971 की धारा 7 की उपधारा

(3) के तहत नोटिस ।

1. जबकि मेसर्स बेसिक ज्वैलरी (आइ) प्रा. लि. (जिसका इसमें आगे संक्षिप्तता के लिए "नोटिस" प्राप्तकर्ता के रूप में उल्लेख किया गया है) के अधिभोग में परिसर जिसमें यूनिट नं. 39, जी एंड जे, कॉम्प्लेक्स III, सीप्ल - सेज़, अंधेरी (पूर्व) (जिसका इसमें आगे संक्षिप्तता के लिए उक्त परिसर के रूप में उल्लेख किया गया है) स्थित है का विशेष रूप से नीचे दी गई अनुसूची में उल्लेख किया गया है ।
2. तथा जबकि दिनांक 01.9.2016 के स्थिति के अनुसार 2,42,547.26/- (दो लाख बयालीस हजार पांचसौ सैंतालीस रूपए छब्बीस पैसे मात्र) का लंबित भुगतान नीचे दिया गया है:
 - (i) नोटिस प्राप्तकर्ता वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए जारी बिल संख्या एसपीजेडबिल4720 दिनांक 01.9.2016 जोकि अक्टूबर, 2016 के बकाया किराया बिल 596.90/- बकाया किराया पर ब्याज 1,406.65/- तथा सेवा प्रभार 12,726.67/- तथा सेवा प्रभार का बकाया 1,65,579.50/- अक्टूबर, 2016 के बीएमसी कर का 603.13/- तथा बीएमसी के बकाया कर का 7,021.80/- तथा अर्थदंड के रूप में ब्याज का बकाया 19.26/- है ।
3. अतएव, अब सार्वजनिक परिसर (अप्राधिकृत अधिभोग बेदखली) अधिनियम, 1971 की धारा 7 की उपधारा (3) के अनुसरण में नोटिस प्राप्तकर्ता को दिनांक 30.11.2016 तक अथवा इसके पहले इसका कारण बताने को कहा जाता है कि क्यों न ब्याज सहित उक्त किराए की बकाया रकम का भुगतान करने के लिए आपको आदेश दिया जाए । नोटिस प्राप्तकर्ता यदि चाहे तो दिनांक 01.12.2016 को पूर्वाहन 11.30 बजे कारण बताने के समर्थन में वैक्तिगत रूप से अपना पक्ष रखने के लिए

of BMC Tax of Rs. 7,021.80/-, arrears of penalty interest of Rs. 19.26/-, issued to the Noticee for the FY 2016-17.

3. **NOW THEREFORE** in pursuance of sub-section (3) of Section 7 of Public Premises (Eviction of unauthorised Occupants) Act, 1971, the Noticee is called upon to show cause on or before **30.11.2016** as to why an order requiring you to pay the said arrears of rent together with simple interest should not be made. The Noticee may, if so desire, also present the case personally in support of the cause shown on **01.12.2016 at 11.30 am**. If, the Noticee fails to show cause on or before the said date, the case will be decided as per the powers conferred by sub-section (2-A) of Section 7 of Public Premises (Eviction of unauthorised Occupants) Act, 1971 and the said sum will be recovered as arrears of land revenue through the Collector under The Maharashtra Land Revenue Code 1996 (XLI of 1966).


: Schedule :

M/s. Basic Jewellery (I) Pvt. Ltd.

Unit no.G-39, G & J Complex- III,
SEEPZ SEZ, Andheri (E), Mumbai - 96.

Place : Mumbai

Date : 04.11.2016


(V.P Shukla)
JDC/Estate Manager
SEEPZ SEZ Authority

उपस्थित हों । यदि नोटिस प्राप्तकर्ता उक्त तारीख तक अथवा उसके पहले कारण नहीं बताता है तो सार्वजनिक परिसर (अप्राधिकृत अधिभोग बेदखली) अधिनियम, 1971 की धारा 7 की उपधारा (2-ए) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार इस मामले में निर्णय लिया जाएगा तथा उक्त राशि महाराष्ट्र भूमि राजस्व कोड (1966 का XLI) के तहत कलेक्टर के जरिए भूमि राजस्व बकाया की वसूली की जाएगी ।

:अनुसूची:

मेसर्स बेसिक ज्वैलरी (इं) प्रा.लि.,
यूनिट नं. जी-39, जी एंड जे कांप्लेक्स-III,
सीप्ल-सेज़, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 96

स्थान: मुंबई

दिनांक: 04.11.2016

(विजय प्रकाश शुक्ल)
संविआ / संपदा प्रबंधक
सीप्ल-सेज़ प्राधिकरण